राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

फाल्गुन 26, बुधवार, शाके 1937–मार्च 16, 2016

Phalguna 26, Wednesday, Saka 1937–March 16, 2016

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 10, 2016

संख्या एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन 2015–16 :– राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के S.O. No. 135 के आईटम संख्या 44, जो कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 1(8)एफडी/ जीएफएण्डएआर/2011, दिनांक 4 सितम्बर, 2013 से अधिसूचित है, में संशोधित अधिसूचना दिनांक 11–01–2016 के द्वारा क्रम संख्या 44 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है :–

क्र. सं.	उपापन का विषय–वस्तु	बोली लगाने वालों के स्त्रोत /प्रवर्ग	शर्तें/अभियुक्तियां
1	2	3	4
44	पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा संकर्मों या सेवाओं का उपापन	ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् और/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां	निम्नलिखित के लिए सम्बन्धित बी.एस.आर. दरों तक : (क) श्रम (ख)सम्बन्धित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री

उपरोक्त की पालना में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् और/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां प्रत्येक कार्य हेतु उक्त संशोधन के तहत सम्बन्धित बीएसआर दरों तक श्रम एवं सम्बन्धित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री (Material incidental to the works concerned) अर्थात् प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक श्रम व सामग्री का उपापन बीएसआर दरों तक किया जा सकेगा।

उक्त अधिसूचना दिनांक 11.1.2016 के क्रम में ग्राम पंचायत/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियों को विभागीय शिड्यूल ऑफ पॉवर्स के तहत प्रदत्त अधिकतम वित्तीय सीमा राशि 10.00 लाख रु. तक के कार्यों हेतु बीएसआर दरों तक सामग्री के क्रय/उपापन कार्यवाही सम्पादन में निम्न सामान्य शर्तों की भी पालना सुनिश्चित की जावें :–

1. ग्राम पंचायत/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियों को राशि रु. 10.00 लाख तक लागत के लिए आवश्यक सामग्री बाजार दरों के सर्वे के आधार पर बीएसआर दरों तक की सीमा तक संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री का ही क्रय/उपापन कर सकेगी।
2. राशि रु. 10.00 लाख तक की लागत के कार्यों हेतु सामग्री खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता के चिन्हीकरण हेतु कम से कम 3 आपूर्तिकर्ताओं से ग्राम पंचायत स्तरीय क्रय समिति द्वारा बाजार दरों के सर्वे के आधार पर दर प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर उपापन किया जाएगा।
3. दर प्रस्ताव आमन्त्रित करने हेतु प्रस्ताव रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक से ही भेजा जाना अनिवार्य होगा एवं इसकी एक प्रति सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद् को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित कर पंचायत के नोटिस बोर्ड, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इनकी प्रति चस्पा करेगी। राशि रु. 1.00 लाख या इससे अधिक उपापन होने की स्थिति में संस्था द्वारा दर प्रस्ताव एवं आपूर्ति आदेश "राज्य लोक उपापन पोर्टल" (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर भी प्रदर्शित करेंगी।
4. आनुषांगिक सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता के पास कम से कम 2 वर्ष का सामग्री आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य है। दर प्रस्ताव के साथ 2 वित्तीय वर्ष पूर्व में जारी स्थाई TIN No., PAN No., Service Tax Number (As applicable) की प्रति एवं गत 2 वर्षों की दाखिल रिटर्न (जो कि कम से कम उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत से 3 गुणा से अधिक हो) की प्रति एवं कर चुकता प्रमाण–पत्र की प्रति वांछित अनुभव होने की पुष्टि हेतु प्राप्त की जावेगी।
5. आपूर्तिकर्ता किसी भी राजकीय संस्थान/उपक्रमों से बोली लगाने से विवर्जित/ब्लैकलिस्टेड नहीं हो।

6. किसी एक कार्य के लिए उपापन की गई सामग्री का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए **नहीं** किया जा सकेगा। उदाहरण के रूप में यदि ग्राम पंचायत द्वारा एक आंगनबाडी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, तो उक्त संशोधन के तहत निर्माण कार्य हेतु आवश्यक श्रम, सामग्री का उपापन बीएसआर दरों तक किया जा सकेगा एवं उक्त आंगनबाडी केन्द्र हेतु उपापन की गई सामग्री का उपयोग किसी अन्य निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकेगा।
7. निर्धारित मानक स्तर की सामग्री का ही उपापन किया जावे। इस क्रम में सीमेन्ट एवं लोहा सम्बन्धित विनिर्माता/उत्पादनकर्ता कम्पनी के अधिकृत विक्रेता/अधिकृत सब विक्रेता/हॉल सेलर/कम्पनी/कम्पनी आउटलेट से ही कम्पनी की प्रचलित दरों एवं बीएसआर की दरों में जो भी कम हो, (उपापन बीएसआर की सीमा तक या बीएसआर दरों से नीचे Reasonability के स्टेट्स को देखकर) ही क्रय की जा सकेगी।
8. किसी एक पंचायती राज संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक आपूर्तिकर्ता से 25 लाख रु. से अधिक राशि का उपापन नहीं किया जावे।
9. उक्तानुसार उपापन की जा रही सामग्री की प्राप्त दरों पर सामग्री उपापन से पूर्व, यदि ग्राम पंचायत द्वारा 10 लाख से अधिक लागत के किसी अन्य कार्य हेतु अन्य उपापन पद्धति से सामग्री का उपापन किया जा रहा है तो उसकी दरों को भी दृष्टिगत रखा जाकर सामग्री का उपापन किया जावे।
10. पंचायतराज संस्थाएं या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां द्वारा कराये जाने वाले कार्यो हेतु प्रत्येक कार्यवार पत्रावली संधारित की जावेगी।
11. उपरोक्त प्रकिया वर्णित स्त्रोतों/बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजना और अपेक्षित बजट प्रावधान की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।
12. पंचायत समिति/जिला परिषद/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियों भी उक्त प्रक्रियानुसार ही राशि रु. 10.00 लाख तक के कार्यो के लिए आवश्यक आनुषंगिक सामग्री की उक्तानुसार ही बीएसआर दरों तक सामग्री का क्रय/उपापन कर सकेगी।
13. उपापन संस्था उपापन की विषयवस्तुओं के लिए खुली प्रतियोगी बोली की रीति से भी उपापन करने के विकल्प को अंगीकृत कर सकेगी।
14. "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" के SO 135 के आईटम नंबर 44 के तहत किये जाने वाले इन सभी उपापनों में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" के प्रावधानों की पूर्ण पालना समस्त पंचायती राज संस्थाओं/उपापन संस्थाओं द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
15. राशि रु. 10.00 लाख से अधिक लागत के कार्यो हेतु सामग्री का भी क्रय/उपापन नियमानुसार "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" में यथा विहित उचित प्रक्रिया को अपनाकर ही सम्पादित किया जावेगा।

उपरोक्त प्रक्रिया ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में राज्य सरकार की सभी योजनाओं के दिशा–निर्देशों अनुसार स्वीकृति जारी करने की ग्राम पंचायतों को प्रदत्त वित्तीय राशि की सीमा तक के कार्यो पर भी लागू होगी।

श्रीमत् पाण्डेय,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।